

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम  
अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण)  
विधेयक, 2014

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

3. विभेद का प्रतिषेध।
4. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध।

अध्याय 3

सूचित सम्मति

5. एचआईवी परीक्षण या उपचार कराने के लिए सूचित सम्मति।
6. कतिपय मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सूचित सम्मति की अपेक्षा न होना।
7. जांच केंद्रों आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

अध्याय 4

एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण

8. एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण।
9. एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के संगी को उसके एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति का प्रकटीकरण।
10. एचआईवी पारेषण के निवारण का कर्तव्य।

अध्याय 5

स्थापनों की बाध्यता

11. आंकड़ों की गोपनीयता।
12. स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति।

(ii)

खंड

अध्याय 6

एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन

13. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपाय।
14. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन।

अध्याय 7

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

15. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय।
16. एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण।
17. एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों का संवर्धन।
18. एचआईवी या एड्स से संक्रमित स्त्रियां और बालक।

अध्याय 8

सुरक्षित कार्यक्रम वातावरण

19. सुरक्षित कार्यक्रम वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापनों की बाध्यता।
20. स्थापनों के साधारण दायित्व।
21. शिकायत प्रतितोष तंत्र।

अध्याय 9

जोखिम में कमी के लिए रणनीतियों का संवर्धन

22. जोखिम की कमी के लिए रणनीति।

अध्याय 10

ओमबड्समैन की नियुक्ति

23. ओमबड्समैन की नियुक्ति।
24. ओमबड्समैन की शक्तियां।
25. परिवाद की प्रक्रिया।
26. ओमबड्समैन के आदेश।
27. ओमबड्समैन की सहायता के लिए प्राधिकारी।
28. राज्य सरकार को रिपोर्ट।

अध्याय 11

विशेष उपबंध

29. निवास का अधिकार।
30. एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना।

(iii)

**खंड**

31. राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में व्यक्ति।
32. बड़े सहोदर की संरक्षकता की मान्यता।
33. संरक्षकता और वसीयती संरक्षकता के लिए विद्यमान वसीयत।

**अध्याय 12**

**न्यायालयों में विशेष प्रक्रिया**

34. पहचान का अधिक्रमण।
35. भरणपोषण आवेदन।
36. दंडादेश करना।

**अध्याय 13**

**शास्तियां**

37. अपराधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।
38. ओमबड्समैन के आदेशों का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।
39. विधिक कार्यवाहियों में गोपनीयता भंग के लिए शास्ति।
40. उत्पीड़न का प्रतिषेध।
41. अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय।
42. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना।

**अध्याय 14**

**प्रकीर्ण**

43. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
44. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
45. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
46. केन्द्रीय सरकार की मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने की शक्ति।
47. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
48. नियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।
49. राज्य सरकार की नियम बनाने और उसे रखे जाने की शक्ति।
50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

2014 का विधेयक संख्यांक 3

[दि ह्यूमन इम्यूनोडीफिसिएन्सी वायरस एंड अक्वाइर्ड इम्यूनोडीफिसिएन्सी सिंड्रोम  
(प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

## मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण के फैलाव के  
निवारण और नियंत्रण के लिए और उक्त विषाणु और संलक्षण से  
प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के  
लिए तथा उससे संबंधित या उसके  
आनुषंगिक विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण का फैलाव सभी के लिए  
गंभीर चिंता का विषय है और उक्त विषाणु और संलक्षण के निवारण और नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता  
है;

और उन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है जो एचआईवी-पोजिटिव  
हैं, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण से प्रभावित हैं और उक्त विषाणु  
और संलक्षण द्वारा भेद्य हैं;

और मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण की प्रभावी देख-रेख, संभाल और उपचार की आवश्यकता है;

और मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा की आवश्यकता है;

और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण पर अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं का प्रत्याह्वान और पुनः अभिपुष्टि करते हुए मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण की समस्या के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए और व्यापक रूप में इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय और तीव्रकरण में वृद्धि करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण पर प्रतिबद्धता की घोषणा (2001) को अंगीकृत किया है;

और भारत गणराज्य का पूर्वोक्त घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण इस घोषणा को प्रभावी बनाना समीचीन है:—

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2014 है।

5

(2) यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “एड्स” से अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण अभिप्रेत है जो मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु द्वारा कारित संकेतों और लक्षणों के समुच्चय द्वारा वर्णित दशा है, जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के लिए जीवन विभीषक दशाओं और ऐसी अन्य दशाओं के लिए जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, खतरा बनते हुए शरीर के रोगक्षम तंत्र पर आक्रमण करती है और उसको कमजोर बना देती है;

10

(ख) “सहमति की हैसियत” से किसी प्रस्तावित कार्रवाई की प्रकृति और परिणामों को समझने और उसका मूल्यांकन करने और ऐसी कार्रवाई से संबंधित सूचित विनिश्चय करने के लिए उद्देश्य के आधार पर अवधारित किसी व्यक्ति की योग्यता अभिप्रेत है;

15

(ग) “एचआईवी द्वारा प्रभावित बालक” से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो एचआईवी-पोजिटिव है या जिसके माता-पिता या संरक्षक (जिसके साथ ऐसा बालक साधारणतः निवास करता था), एचआईवी-पोजिटिव है या माता-पिता या संरक्षक (जिसके साथ ऐसा बालक साधारणतः निवास करता है), को एड्स के कारण खो दिया है या एड्स द्वारा अनाथीकृत बालकों का पोषण करने वाले किसी गृहस्थ में रहता है;

20

(घ) “विभेद” से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अभिव्यक्त रूप से या प्रभाव द्वारा, तुरंत या कुछ समय पश्चात्,—

(i) कोई भार, बाध्यता, दायित्व, नियोग्यता या अलाभ अधिरोपित करता है; या

(ii) किसी व्यक्ति या कोटि के व्यक्तियों पर एचआईवी से संबंधित एक या अधिक आधारों पर आधारित किसी फायदे, अवसर या लाभ से इंकार करता है या उसको रोकता है,

25

और “विभेद करने” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए एचआईवी संबंधित आधारों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति होना;

(ii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहना, निवास करना या सहवास करना जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है;

(iii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहा था, निवास किया था या सहवास किया था जो एचआईवी-पोजिटिव था;

2005 का 43

(ड) “पारिवारिक संबंध” से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन यथा परिभाषित संबंध अभिप्रेत है;

(च) “स्थापन” से मालों या सेवाओं के उत्पादन, उनके प्रदाय या वितरण के लिए कोई निगम निकाय या सहकारी सोसाइटी या ऐसा कोई संगठन या संस्थान या ऐसे दो या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो प्रतिफल के लिए या अन्यथा एक या अधिक स्थानों पर बारह मास या अधिक की अवधि के लिए संयुक्त रूप से कोई प्रणालीगत क्रियाकलाप कर रहे हैं;

(छ) “मार्गदर्शक सिद्धान्त” से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई कथन या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें एचआईवी या एड्स के निवारण और नियंत्रण और उपचार के संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और स्थापनों और व्यष्टियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एचआईवी और एड्स के निवारण और नियंत्रण से संबंधित नीति या प्रक्रिया या कार्यवाही उपदर्शित है;

(ज) “स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका व्यवसाय या वृत्ति दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित है और जिसके अंतर्गत कोई भी चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सीय, मनोविज्ञानी, परामर्शदाता या चिकित्सीय नर्सिंग मनोवैज्ञानिक या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत एचआईवी निवारण और उपचार सेवाएं भी हैं, देने वाला कोई अन्य व्यक्ति आते हैं;

(झ) “एचआईवी” से मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु अभिप्रेत है;

(ञ) “एचआईवी-प्रभावित व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एचआईवी-पोजिटिव है या जिसका संगी (जिसके साथ ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवास करता है) एचआईवी-पोजिटिव है या जिसने एड्स के कारण किसी संगी को (जिसके साथ ऐसा व्यक्ति निवास करता था) खो दिया है;

(ट) “एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके एचआईवी परीक्षण में पोजिटिव होने की अभिपुष्टि हो गई है;

(ठ) “एचआईवी-संबंधी सूचना” से किसी व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति से संबंधित कोई सूचना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) एचआईवी परीक्षण करने के उपक्रम या किसी एचआईवी परीक्षण के परिणाम से संबंधित सूचना;

(ii) उस व्यक्ति की देखभाल, संभाल या उपचार से संबंधित सूचना;

(iii) ऐसी सूचना, जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो; और

(iv) उस व्यक्ति से संबंधित कोई अन्य सूचना जिसे एचआईवी परीक्षण, एचआईवी उपचार या एचआईवी संबंधी अनुसंधान या उस व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति के संबंध में एकत्रित, प्राप्त, सुलभ या अभिलिखित किया गया है;

(ड) “एचआईवी परीक्षण” से एचआईवी के किसी रोग प्रतिकारक या एंटीजन की उपस्थिति को अवधारित करने के लिए परीक्षण अभिप्रेत है;

(ढ) “सूचित सहमति” से किसी प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट, भूल या दुर्व्यपदेशन के बिना किसी प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है और ऐसी सहमति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा समझे जाने वाली भाषा और रीति में प्रस्तावित मध्यक्षेप को मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम और फायदों या विकल्पों से संबंधित ऐसी सूचना, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को देकर प्राप्त की गई है;

(ण) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) “संगी” से पति-पत्नी, वस्तुतः पति-पत्नी या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ दूसरा व्यक्ति वैवाहिक प्रकृति का संबंध रखता है;

(थ) “व्यक्ति” के अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समूह या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, कोई कंपनी जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई सरकारी कंपनी भी है, सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन कोई सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी, भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, कोई स्थानीय प्राधिकारी और प्रत्येक अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति आते हैं;

(द) “विहित” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) “संरक्षित व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो —

(i) एचआईवी-पोजिटिव है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहता है, निवास करता है या सहवास करता है जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहता था, निवास करता था या सहवास करता था जो एचआईवी-पोजिटिव था;

(न) “युक्तियुक्त वास-सुविधा” से नौकरी या कार्य में मामूली समायोजन अभिप्रेत है जो ऐसे एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति को जो, यथास्थिति, समान फायदों का उपभोग करने के लिए या नौकरी या कार्य के आवश्यक कृत्य करने के लिए अन्यथा अर्हित है, समर्थ बनाता है;

(प) संरक्षित व्यक्ति के संबंध में “नातेदार” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी;

(ii) संरक्षित व्यक्ति के माता-पिता;

(iii) संरक्षित व्यक्ति के भाई या बहन;

(iv) संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी के भाई या बहन;

(v) संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी के माता-पिता के भाई या बहन;

(vi) खंड (i) से खंड (v) में उल्लिखित किसी भी नातेदार के अभाव में संरक्षित व्यक्ति के पारंपरिक पूर्वज या वंशज;

(vii) खंड (i) से खंड (vi) में उल्लिखित किसी भी नातेदार के अभाव में संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी के पारंपरिक पूर्वज या वंशज;

(फ) “महत्वपूर्ण जोखिम” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ की उपस्थिति;

5 (ख) ऐसी परिस्थिति जो एचआईवी संक्रमण को पारेषित करने या उसके संपर्क में आने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है;

(ग) किसी संक्रामक स्रोत और किसी असंक्रमित व्यक्ति की उपस्थिति।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

10 (i) “महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ” रक्त, उक्त उत्पाद, वीर्य, योनिक स्राव, स्तन दूध, ऊतक और शारीरिक तरल अर्थात् सेरेब्रोस्पाइनल, एम्नियोटिक, पेरिटोनियल, साइनोवायल, पेरिकार्डियल और प्लेयूरल हैं;

(ii) “वे परिस्थितियां जिनसे एचआईवी संक्रमण के पारेषण या संपर्क से महत्वपूर्ण जोखिम होती है” निम्नलिखित हैं—

15 (अ) मैथुन, जिसके अंतर्गत योनिक, गुदा या मुख मैथुन हैं, जिनसे असंक्रमित व्यक्ति को, एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति से रक्त, रक्त उत्पाद, वीर्य या योनिक स्राव में संक्रमण की आशंका होती है;

(आ) एचआईवी-पोजिटिव व्यक्तियों और असंक्रमित व्यक्तियों के बीच औषधियों को तैयार करने और सुई लगाने के लिए उपयोग में लाई गई सुइयों और अन्य साज सामान का एक दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग;

20 (इ) किसी शिशु की सगर्भता, उसे जन्म देना और उसे स्तनपान कराना, जबकि उसकी मां एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है;

25 (ई) रक्त, रक्त उत्पादों का आधान और अंगों या अन्य ऊतकों का एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति को प्रतिरोपण, परंतु यह तब जबकि ऐसे रक्त, रक्त उत्पाद, अंग या अन्य ऊतकों का एचआईवी के एंटीबाडी या एंटीजन के लिए निश्चायक रूप से परीक्षण नहीं कर लिया गया है और ताप या रसायन उपचार द्वारा उसे निष्प्रभावी नहीं बना दिया गया है; और

30 (उ) अन्य परिस्थितियां, जिनके दौरान एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के स्तन दूध से भिन्न महत्वपूर्ण जोखिम वाला शारीरिक पदार्थ असंक्रमित व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्ली, जिसके अंतर्गत आंख, नाक या मुंह, क्षत त्वचा, जिसके अंतर्गत खुला घाव, त्वचा शोथ स्थिति में त्वचा या खरोंच वाला क्षेत्र या नाड़ी तंत्र भी है, और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत सूई या चोभ घाव और महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ द्वारा इन शारीरिक सतहों के सीधे संतृप्ति और व्याप्ति आते हैं किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:

परन्तु महत्वपूर्ण जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

35 (i) ऐसे मूत्र, मल, थूक, नासिका स्राव, लार, पसीना, आंसू या उल्टी को अरक्षित छोड़ना जिसमें खुली आंख से दृश्यमान रक्त नहीं हो;

(ii) मानव द्वारा काटना, जहां पर रक्त से रक्त का या रक्त से श्लेष्मा झिल्ली का सीधा संपर्क न हो;

(iii) रक्त या किसी अन्य रक्त पदार्थ से अक्षत त्वचा की उच्छन्नता; और

(iv) उपजीविका जन्य ऐसे केन्द्र जहां पर व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत,



सर्वव्यापी पूर्वावधानियों, प्रतिबंधात्मक तकनीकियों और निवारक कार्य प्रणाली का ऐसी परिस्थितियों में उपयोग करते हैं जिनसे अन्यथा महत्वपूर्ण जोखिम हो और ऐसी तकनीकियों का भंग नहीं हो और वे अविकल हों;

(ब) “राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी” से एचआईवी और एड्स के क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का केन्द्रक अभिकरण अभिप्रेत है; 5

(भ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है; और

(म) “सर्वव्यापी पूर्वावधानियों” से ऐसे नियंत्रण उपाय अभिप्रेत हैं जो रोगोत्पादक कारकों के पारेषण की जोखिम की आशंका का निवारण करते हैं या उसे कम करते हैं (जिसके अंतर्गत एचआईवी भी है) और जिसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत संरक्षी उपकरण जैसे दस्ताने, चोगा और मुखावरण, हाथ धोना और सुरक्षित कार्य पद्धतियां लागू करना भी आते हैं। 10

## अध्याय 2

### कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

विभेद का प्रतिषेध।

3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई भी स्थापन या कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई आधार भी हैं, अर्थात्:— 15

(क) नियोजन या व्यवसाय का प्रत्याख्यान या उसकी समाप्ति जब तक कि समाप्ति की दशा में उस व्यक्ति को, जो अन्यथा अर्हित है, निम्नलिखित नहीं दे दिया जाता—

(i) किसी अर्हित और स्वतंत्र स्वास्थ्य देख-भाल प्रदाता, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है, के लिखित में निर्धारण की ऐसी एक प्रति कि संरक्षित व्यक्ति से कार्यस्थल में अन्य व्यक्तियों को एचआईवी के पारेषण की महत्वपूर्ण जोखिम है या वह नौकरी के कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य है; और 20

(ii) नियोक्ता द्वारा उसे युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाई की प्रकृति और विस्तार के कथन वाले लिखित विवरण की एक प्रति;

(ख) नियोजन या नौकरी में या उसके संबंध में अक्रह्यु बर्ताव;

(ग) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रह्यु बर्ताव; 25

(घ) शैक्षणिक सेवाओं में प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रह्यु बर्ताव;

(ङ) साधारण जनता के उपयोग को समर्पित या जनता को रूढ़िगत रूप से उपलब्ध किसी माल, वाससुविधा, सेवा सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर के उपयोग पर पहुंच या उसकी व्यवस्था या उसका उपभोग करने की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रह्यु बर्ताव चाहे ऐसा फीस देने पर हो या उसके बिना जिसके अंतर्गत दुकानें, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और लोक मनोरंजन के स्थान या कुंओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, कब्रिस्तानों या अंत्येष्टि संस्कारों और लोक समागम के स्थानों का उपयोग आते हैं; 30

(च) संचलन के अधिकार की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रह्यु बर्ताव;

(छ) निवास, क्रय, किराया या अन्यथा किसी प्रोपर्टी के अधिभोग के अधिकार की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रह्यु बर्ताव; 35

(ज) सार्वजनिक या निजी पद के लिए उम्मीदवार होने या पद धारण करने के अवसर का प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रह्यु बर्ताव;

(झ) किसी राज्य या निजी स्थापन में जिसकी देख-रेख और अभिरक्षा में कोई व्यक्ति हो, पहुंच से प्रत्याख्यान, उसको हटाया जाना या उसमें अक्रह्यु बर्ताव;

(ज) बीमा व्यवस्था का प्रत्याख्यान या उसमें अत्ररुजु बर्ताव जब तक कि ऐसा अत्ररुजु बर्ताव जीवनांकिक अध्ययनों पर आधारित और उनसे समर्थित न हों;

(ट) किसी संरक्षित व्यक्ति को अलग करना या पृथक्करण;

(ठ) नियोजन की अभिप्राप्ति या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच या शिक्षा या उसके जारी रखे जाने या कोई अन्य सेवा या सुविधा लेने या उसका उपयोग करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में एचआईवी परीक्षण:

परंतु खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन लिखित निर्धारण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि उससे कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है और यह कि व्यक्ति नौकरी के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य है और, यथास्थिति, उस खंड के उपखंड (ii) के अधीन लिखित विवरण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी कोई असम्यक् प्रशासनिक या वित्तीय कठिनाई नहीं है।

4. कोई व्यक्ति, साधारणतया या विशिष्ट रूप से किसी संरक्षित व्यक्ति या संरक्षित व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा घृणा की भावनाओं का प्रकाशन, प्रचार, पक्ष-पोषण नहीं करेगा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण या अन्यथा संसूचित नहीं करेगा या किसी भी ऐसी सूचना, विज्ञापन या नोटिस का प्रसार, प्रसारण या प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे युक्तियुक्त रूप से घृणा के प्रचार के आशय के निदर्शन का अर्थ लगाया जा सके या जिससे संरक्षित व्यक्ति को घृणा, विभेद या शारीरिक हिंसा की आशंका में डाला जाना संभाव्य हो।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध।

### अध्याय 3

#### सूचित सम्मति

5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी भी व्यक्ति पर एचआईवी परीक्षण; या

(ख) किसी भी संरक्षित व्यक्ति का चिकित्सा उपचार, चिकित्सा मध्यक्षेप या उसके बारे में अनुसंधान,

ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि की सूचित सम्मति के सिवाय और ऐसी रीति के सिवाय, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं, नहीं किया जाएगा।

(2) एचआईवी परीक्षण के लिए सूचित सम्मति के अंतर्गत परीक्षण किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि की ऐसी रीति में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श सेवा की जाएगी जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

6. निम्नलिखित मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सूचित सम्मति की अपेक्षा नहीं होगी—

(क) जहां कोई न्यायालय आदेश द्वारा यह अवधारित करता है कि उसके समक्ष मामले में विवाहकों के अवधारण के लिए या तो चिकित्सा परीक्षा के भाग के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति का एचआईवी परीक्षण किया जाना आवश्यक है;

(ख) आयुर्विज्ञान अनुसंधान या चिकित्सा में उपयोग के लिए मानव शरीर या उसके किसी भाग को उपाप्त करने, उसका प्रसंस्करण, वितरण या उपयोग करने के लिए, जिसके अंतर्गत ऊतक, रक्त, वीर्य या अन्य शारीरिक तरल आते हैं:

परंतु जहां पर किसी दाता द्वारा संदान के पहले परीक्षण परिणामों का अनुरोध किया गया है वहां दाता को परामर्श सेवा और परीक्षण केंद्र को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा दाता तब तक परीक्षण के परिणाम का हकदार नहीं होगा जब तक उसने ऐसे केंद्र से पश्च परीक्षण परामर्श सेवा प्राप्त नहीं कर ली हो;

एचआईवी परीक्षण या उपचार कराने के लिए सूचित सम्मति।

कतिपय मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सूचित सम्मति की अपेक्षा नहीं होना।

(ग) जानपदिकरोग विज्ञान संबंधी या निगरानी प्रयोजनों के लिए जहां पर एचआईवी परीक्षण अनाम है और किसी व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए नहीं है:

परंतु ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे जानपदिकरोग संबंधी या निगरानी अध्ययनों के अधीन हैं, ऐसे अध्ययनों के प्रयोजनों की सूचना दी जाएगी; और

(घ) किसी अनुज्ञप्त रक्त कोष में छानबीन प्रयोजनों के लिए।

जांच केंद्रों आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

7. किसी परीक्षण या निदान केंद्रों या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त कोष द्वारा कोई एचआईवी परीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा केंद्र या प्रयोगशाला या रक्त कोष ऐसे परीक्षण के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन नहीं कर ले।

#### अध्याय 4

10

### एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण

एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण।

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) किसी व्यक्ति को उसकी एचआईवी प्रास्थिति प्रकट करने के लिए उस दशा के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा यह अवधारित करता है कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उसके समक्ष मामले में विवाद्यकों के अवधारण के लिए न्याय हित में आवश्यक है;

(ii) कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति या उसके द्वारा विश्वास में बताई गई या वैश्वसिक प्रकृति के संबंधों में बताई गई किसी अन्य निजी सूचना को, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि की ऐसी रीति में जो धारा 5 में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त सम्मति के सिवाय और ऐसा प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी सम्मति के तथ्य को लेखबद्ध करने के सिवाय प्रकट नहीं करेगा या उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा;

परंतु वैश्वसिक प्रकृति के संबंधों की दशा में सम्मति को लेखबद्ध किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन एचआईवी संबंधी सूचना के प्रकटीकरण के लिए उस स्थिति में सूचित सम्मति अपेक्षित नहीं है जहां पर प्रकटीकरण—

(क) किसी स्वास्थ्य देख-भाल प्रदाता द्वारा ऐसे दूसरे स्वास्थ्य देख-भाल प्रदाता को किया गया है जो ऐसे व्यक्ति के देख-रेख, उपचार या परामर्श सेवा में सम्मिलित है जब कि ऐसा प्रकटीकरण उस व्यक्ति की देख-रेख या उपचार के लिए आवश्यक है;

(ख) किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा जब वह ऐसे आदेश द्वारा यह अवधारित करे कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उसके समक्ष मामले में विवाद्यकों के अवधारण के लिए और न्यायहित में आवश्यक है;

(ग) व्यक्तियों के मध्य दावों या विधिक कार्यवाहियों में जहां ऐसी सूचना का प्रकटीकरण दावे या विधिक कार्यवाहियां फाइल करने के लिए या उनके काउंसिल को अनुदेश देने के लिए आवश्यक हैं;

(घ) धारा 9 के उपबंधों के अधीन है;

(ङ) यदि यह किसी व्यक्ति की सांख्यिकीय या अन्य सूचना से संबंधित है जिससे उस व्यक्ति की पहचान होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा नहीं की जा सके; और

(च) मानीटर, मूल्यांकन या पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबंधित राज्य सरकार की राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के समक्ष है।

9. (1) चिकित्सक या परामर्शदाता के सिवाय कोई भी स्वास्थ्य देख-भाल प्रदाता किसी व्यक्ति के संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति प्रकट नहीं करेगा।

एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के संगी को उसके एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति का प्रकटीकरण।

(2) कोई स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता जो चिकित्सक या परामर्शदाता है, किसी व्यक्ति की एचआईवी-पोजिटिव प्रास्थिति को उसके संगी को अपने प्रत्यक्ष देख-रेख के अधीन प्रकट कर सकेगा यदि ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता—

5 (क) युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास करता है कि ऐसे व्यक्ति के संगी को उससे एचआईवी के पारेषण की महत्वपूर्ण जोखिम है; और

(ख) ऐसे एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति को ऐसे संगी को सूचित करने के लिए परामर्शित कर दिया गया है; और

(ग) उसका यह समाधान हो जाता है कि एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति ऐसे संगी को सूचित नहीं करेगा; और

10 (घ) एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति को उसके संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति को प्रकट करने के अपने आशय के बारे में सूचित कर दिया है:

परंतु इस उपधारा के अधीन संगी को प्रकटीकरण परामर्श देने के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा:

15 परंतु यह और कि ऐसे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की किसी एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के संगी की पहचान करने या उसका पता लगाने की कोई बाध्यता नहीं होगी:

परंतु यह भी कि ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला के संगी को सूचित नहीं करेगा जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा, परित्याग या ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं जो ऐसी महिला, उसके बालकों, उसके नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसके निकट है, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

20 (3) उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, इस धारा के अधीन किसी संगी को की गई गोपनीय एचआईवी संबंधित सूचना के किसी भी प्रकटीकरण या अप्रकटीकरण के लिए किसी भी दंडिक या सिविल कार्यवाही के दायित्वाधीन नहीं होगा।

25 10. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो एचआईवी पोजिटिव है और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परामर्शित कर दिया गया है या एचआईवी की प्रकृति या उसके पारेषण से अवगत है, अन्य व्यक्तियों को एचआईवी के पारेषण के निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां अपनाएगा, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से किसी लैंगिक संपर्क या उस व्यक्ति के साथ सुइयों के एक दूसरे के लिए उपयोग से पहले उसकी एचआईवी प्रास्थिति की जोखिम को कम करने और उसके बारे में पहले से सूचित करने के लिए रणनीतियां अपनाना भी है:

30 परंतु इस धारा के उपबंध ऐसी परिस्थिति में किसी महिला की दशा में, लैंगिक संपर्क के माध्यम से पारेषण का निवारण करने को लागू नहीं होंगे, जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा, परित्याग या ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं जो ऐसी महिला, उसके बालकों, उसके नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसके निकट है, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

## अध्याय 5

### स्थापनों की बाध्यता

35 11. संरक्षित व्यक्तियों की एचआईवी संबंधित जानकारी के अभिलेख रखने वाला प्रत्येक स्थापन यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी जानकारी प्रकटन से संरक्षित है, मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार आंकड़ा संरक्षण के उपाय अंगीकार करेगा।

35 स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आंकड़ा संरक्षण उपायों में प्रकटन से जानकारी संरक्षित करने के लिए प्रक्रियाएं, जानकारी तक पहुंच के लिए प्रक्रियाएं, किसी रूप में भंडारित जानकारी

एचआईवी पारेषण के निवारण का कर्तव्य।

आंकड़ों की गोपनीयता।

के संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रणालियों हेतु उपबंध और जवाबदेही तथा स्थापन में व्यक्तियों के दायित्व सुनिश्चित करने के लिए तंत्र सम्मिलित है।

स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति।

12. केन्द्रीय सरकार, स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स के मॉडल ऐसी रीति में अधिसूचित करेगी, जो विहित की जाए।

#### अध्याय 6

5

### एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपाय।

13. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेंगी, जो वह मार्गदर्शन के अनुसार एचआईवी या एड्स के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक और समीचीन समझें।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन।

14. (1) धारा 13 के अधीन एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों में यथासंभव प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन का उपबंध करने के लिए उपाय सम्मिलित होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी और एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत को जारी करेगी, जो सभी व्यक्तियों को लागू होंगे और उनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगी।

#### अध्याय 7

### केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय।

15. (1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, दोनों एचआईवी या एड्स द्वारा संक्रमित या प्रभावी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी स्कीमों तक बेहतर पहुंच को सुकर बनाने के लिए उपाय करेंगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें एचआईवी और एड्स से प्रभावित स्त्रियों और बालकों की आवश्यकताओं से निबटने के लिए स्कीमों की विरचना करेंगी।

एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण।

16. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए समुचित कदम उठाएगी।

(2) एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित बालकों के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति, जो उनके हित के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है या एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित कोई बालक ऐसे बालक को संपत्ति अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और जमा करने या बेदखल किए गए या वास्तविक बेदखल वाले ऐसे बालक या ऐसे बालक के गृह में अतिचार से संबंधित शिकायतों को करने के लिए बाल कल्याण समिति के पास जाएंगे।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “बाल कल्याण समिति” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

2000 का 56

एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों का संवर्धन।

17. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एचआईवी और एड्स संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों की विरचना करेंगी, जो समुचित वय, लैंगिक संवेदनशीलता, लांछनरहित और गैर- विभेदकारी हैं।

एचआईवी या एड्स से संक्रमित स्त्रियां और बालक।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देख-रेख, समर्थन और उपचार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार परामर्श करने

और गर्भावस्था और एचआईवी से संक्रमित स्त्रियों के लिए एचआईवी संबंधी उपचार के परिणाम के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए उपाय करेगी।

(3) कोई एचआईवी पोजिटिव स्त्री, जो गर्भवती है, उसकी सूचित सम्मति को प्राप्त किए बिना बंधीकरण या गर्भपात की पात्र नहीं होगी।

5

## अध्याय 8

### सुरक्षित कार्यकरण वातावरण

19. स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में लगा प्रत्येक स्थापन और प्रत्येक ऐसा अन्य स्थापन, जहां एचआईवी के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन के महत्वपूर्ण जोखिम हैं, सुरक्षित कार्यकरण का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए,—

सुरक्षित कार्यकरण वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापनों की बाध्यता।

10

(i) मार्गदर्शन के अनुसार उपबंध करेगा,—

(क) ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन हो सकता है, के लिए सार्वभौमिक पूर्वावधानियां; और

(ख) ऐसी सार्वभौमिक पूर्वावधानियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण;

15

(ग) ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी या एड्स के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन हो सकता है, के पश्च प्रभावन रोग निरोध; और

(ii) सार्वभौमिक पूर्वावधानियों और पश्च प्रभावन रोग निरोध की उपलब्धता के स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों को सूचित और शिक्षित करना।

20

20. (1) इस अध्याय के उपबंध उन सभी स्थापनों को, जो सौ या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने हैं, लागू होंगे चाहे वे, यथास्थिति, कोई कर्मचारी या अधिकारी, या सदस्य या निदेशक या न्यासी या प्रबंधक हों:

स्थापनों के साधारण दायित्व।

परंतु स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनों के मामले में इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “सौ या अधिक” शब्दों के स्थान पर, “बीस या अधिक” शब्द रखे गए हों।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्थापन का भारसाधक है, ऐसे स्थापन के क्रियाकलापों के संचालन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

25

21. धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्थापन, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए परिवाद अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा, जैसा वह ठीक समझे, दिन-प्रतिदिन के आधार पर स्थापनों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण की शिकायतों से निपटेगा।

शिकायत प्रतिरोध तंत्र।

## अध्याय 9

30

### जोखिम में कमी के लिए रणनीतियों का संवर्धन

22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अंगीकृत या क्रियान्वित कोई रणनीति या तंत्र या तकनीक या व्यक्तियों, स्थापनों या संगठनों द्वारा उस रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शनों में विनिर्दिष्ट किया जा सके, के अनुसरण में कोई कार्य किसी रीति में निर्बंधित और प्रतिषिद्ध नहीं किया जाएगा और यह दंडिक अपराध की कोटि में नहीं आएगा या सिविल दायित्व का भागी नहीं होगा।

जोखिम की कमी के लिए रणनीति।

35

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए एचआईवी संचरण का जोखिम कम करने के लिए रणनीति से उन कार्यों या व्यवहारों का संवर्धन करना अभिप्रेत है, जो एचआईवी के प्रभावन वाले व्यक्ति के जोखिम को कम करते हैं या एचआईवी या एड्स से संबंधी प्रतिकूल प्रभावों को घटाते हैं, जिसमें सम्मिलित हैं—

(i) एचआईवी रोकने से संबंधित जानकारी, शिक्षा और परामर्शी सेवाएं और सुरक्षित व्यवहारों का उपबंध;

(ii) कंडोम और सुरक्षित अंतःशिरा ओषधि का उपबंध और उपयोग व्यवहारों सहित बेहतर सुरक्षित यौन साधनों का प्रयोग;

(iii) ओषधि प्रतिस्थापन, ओषधि अनुरक्षण नीडल और सिरिज विनिमय कार्यक्रम।

5

### दृष्टान्त

(क) क, ख को, जो एक यौनकर्मी है या ग को, जो ख का ग्राहक है, कंडोम प्रदाय करता है। न तो क, न ही ख और न ही ग ऐसी कार्यवाहियों के लिए दांडिक रूप से या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित या रणनीति के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किए जा सकेंगे।

10

(ख) ड उन पुरुषों, जिनका पुरुषों के साथ यौन संबंध है, के लिए एचआईवी या एड्स और लैंगिक स्वास्थ्य जानकारी, शिक्षा परामर्श पर मध्यवर्ती परियोजना पर कार्य करता है, बेहतर सुरक्षित यौन जानकारी, सामग्री और कंडोम ड को प्रदान करता है जो अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखता है। न तो ड, न ही डू ऐसी कार्यवाहियों के लिए दांडिक रूप से या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित या मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किए जा सकेंगे।

15

(ग) भ, जो सुई लगाने वाले मादक द्रव्य उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत नीडल विनिमय कार्यक्रम सेवाओं को प्रदान करने वाला किसी मध्यक्षेप की जिम्मेवारी लेता है, म को स्वच्छ नीडल प्रदाय करता है, सुई से लगाने वाला कोई मादक द्रव्य उपयोक्ता जो प्रयोग की गई नीडल के लिए उसी का विनिमय करता है। न तो भ, न ही म ऐसे कार्य के लिए दांडिक या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित या ऐसे मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किए जा सकेंगे।

20

(घ) घ, जो औपियाड प्रतिस्थापन चिकित्सा उपचार (ओएसटी) प्रदान करने वाले मध्यक्षेप कार्यक्रम पर कार्य करता है, ओएसटी डू को देता है, जो सुई लगाने वाला मादक द्रव्य उपयोक्ता है, न तो घ, न ही डू ऐसे कार्य के लिए दांडिक रूप से या सिविल रूप से अभिनिर्धारित या मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किए जा सकेंगे।

25

## अध्याय 10

### ओमबड्समैन की नियुक्ति

ओमबड्समैन की नियुक्ति।

23. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, ओमबड्समैन की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं, एक या अधिक ओमबड्समैन की नियुक्ति करेगी,—

30

(क) जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखता हो, जो विहित किए जाएं; या

(ख) ऐसी पंक्ति जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, से अन्यून के उसके किसी अधिकारी को अभिहित करेगी।

35

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किए गए किसी ओमबड्समैन की सेवा की निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए ओमबड्समैन को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की बाबत अधिकारिता होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

24. (1) ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद करने पर, किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण में ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करेगा। ओमबड्समैन की शक्तियां।

5 (2) ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह मामले की जांच के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अधीन दंडनीय होगा।

1860 का 45

(3) ओमबड्समैन ऐसी रीति में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

10 25. धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन को शिकायतें ऐसी रीति में की जा सकेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। परिवाद की प्रक्रिया।

26. ओमबड्समैन पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उसके कारण देते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे। ओमबड्समैन के आदेश।

15 27. ओमबड्समैन द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन में सभी प्राधिकारी, जिसमें उस क्षेत्र, जिसके लिए धारा 23 के अधीन ओबड्समैन की नियुक्ति की गई है, में कार्य कर रहे सिविल अधिकारी भी सम्मिलित हैं, सहायता करेंगे। ओमबड्समैन की सहायता के लिए प्राधिकारी।

20 28. ओमबड्समैन, प्राप्त परिवादों की संख्या और प्रकृति, की गई कार्यवाही, ऐसे परिवादों के संबंध में पारित आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को, प्रत्येक छह मास के पश्चात्, करेगा और ऐसी रिपोर्ट ओबड्समैन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार को रिपोर्ट।

## अध्याय 11

### विशेष उपबंध

25 29. प्रत्येक संरक्षित व्यक्ति को, जो एक स्त्री है या ऐसा व्यक्ति है, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, उस अधिकार को साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित नहीं किया जाएगा और ऐसी साझी गृहस्थी की सुविधाओं के अधिभोग और उपभोग का अधिकार गैर-विभेदकारी रीति में होगा। निवास का अधिकार।

30 स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “साझी गृहस्थी” से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां कोई व्यक्ति पारिवारिक संबंध में या तो एकल रूप से या किसी व्यक्ति के साथ रहता है या किसी अवस्था में रह चुका है और इसमें ऐसी गृहस्थी, चाहे स्वामित्व वाली या किराएदारी वाली, चाहे संयुक्त रूप से हो या एकल रूप से, कोई ऐसी गृहस्थी, जिसकी बाबत या तो व्यक्ति या दोनों का, संयुक्त रूप से या एकल, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या है या कोई ऐसी गृहस्थी, जो उस संयुक्त कुटुंब से संबंधित हो सकेगी, जिसका व्यक्ति इस बात का ध्यान दिए बिना सदस्य है कि क्या व्यक्ति का साझी गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, सम्मिलित है।

35 30. केंद्रीय सरकार, एचआईवी संबंधी जानकारी के उपबंध, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना के लिए मार्गदर्शन विनिर्दिष्ट करेगी और यह उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करेगी। एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना।

31. (1) प्रत्येक व्यक्ति का, जो राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में है, इस संबंध में जारी मार्गदर्शन के अनुसार एचआईवी निवारण, परामर्श परीक्षण और चिकित्सा का अधिकार होगा। राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में व्यक्ति।

2000 का 56  
1956 का 104

40 (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा के अधीन व्यक्तियों में, अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए और दंडादेश भुगत रहे, विचारण के लिए प्रतीक्षारत व्यक्ति, निवारक निरोध विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधि के अधीन राज्य की देख-रेख



या अभिरक्षा के अधीन व्यक्ति और राज्य द्वारा चलाए जा रहे गृहों और आश्रयगृहों की देख-रेख और अभिरक्षा में व्यक्ति सम्मिलित हैं।

बड़े सहोदर की संरक्षकता की मान्यता।

32. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम का है, किंतु बारह वर्ष से कम का नहीं है, जो पर्याप्त और परिपक्व समझ रखता है और जो एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित अपने कुटुंब के कार्यों का प्रबंध कर रहा है, वह निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अठारह वर्ष से कम के अन्य सहोदर के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:—

- (क) शैक्षणिक स्थापनों में प्रवेश;
- (ख) देखरेख और संरक्षण;
- (ग) चिकित्सा;
- (घ) बैंक खातों का प्रचालन;
- (ङ) संपत्ति प्रबंध; और
- (च) कोई अन्य प्रयोजन, जो संरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एचआईवी या एड्स से प्रभावित कोई ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है, जहां दोनों माता-पिता और विधिक संरक्षक, जो एचआईवी संबंधित बीमारी या एड्स के कारण असमर्थ हैं या विधिक संरक्षक और माता-पिता, जो ऐसे बालकों के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं।

संरक्षकता और वसीयती संरक्षकता के लिए विद्यमान वसीयत।

33. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित किसी बालक के माता-पिता या विधिक संरक्षक वसीयत करके किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जो नातेदार या मित्र है या अठारह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, माता-पिता या विधिक संरक्षक की अक्षमता या मृत्यु पर तुरंत विधिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए, धारा 33 में यथानिर्दिष्ट, एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित कुटुंब का प्रबंध सदस्य है।

(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) में निर्दिष्ट माता-पिता या उनके अधिकारों वाले विधिक संरक्षक को वंचित नहीं करेगी, उनकी क्षमता के बारे में माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा प्रचालन को बंद नहीं करेगी।

(3) एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित बालकों के माता-पिता या विधिक संरक्षक ऐसे बालकों की देख-रेख और संपत्ति के संरक्षण के लिए संरक्षक नियुक्त करने हेतु यह वसीयत कर सकेंगे कि ऐसे बालक उत्तराधिकार या जिनको ऐसे माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा की गई वसीयत के माध्यम से वसीयत की गई हो, प्राप्त करेंगे।

## अध्याय 12

### न्यायालयों में विशेष प्रक्रिया

पहचान का अधिक्रमण।

34. (1) किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें संरक्षित व्यक्ति एक पक्षकार है या ऐसा व्यक्ति कोई आवेदक है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर न्याय के हित में निम्नलिखित में से कोई या सभी आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कि कार्यवाहियों के अभिलेख में छद्मनाम वाले ऐसे व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित करके आवेदक की पहचान के अधिक्रमण द्वारा कार्यवाहियां या उसके कोई भाग ऐसी रीति में संचालित किए जाएंगे, जो विहित की जाएं;

(ख) कि कार्यवाहियां या उसका कोई भाग बंद कमरे में संचालित किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक के नाम या प्रास्थिति या पहचान के प्रकटन को अग्रसर करने के लिए किसी सामग्री को किसी रीति में प्रकाशन से किसी व्यक्ति को रोकना।

(2) किसी एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति से संबद्ध या संबंधित किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय पूर्विकता के आधार पर कार्यवाहियों को करेगा और व्ययन करेगा।

- 5 35. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षित व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त फाइल किए गए किसी भरणपोषण आवेदन में न्यायालय अंतरिम भरणपोषण के लिए आवेदन पर विचार करेगा और भरणपोषण के किसी आदेश को पारित करने में, चिकित्सा व्यय और अन्य एचआईवी संबंधित लागत, जिन्हें आवेदक द्वारा उपगत किया जा सकेगा, को ध्यान में रखेगा। भरणपोषण आवेदन।

- 10 36. दंडादेश करने से संबंधित किसी आदेश को पारित करने में एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति वाले व्यक्तियों की, जिनकी बाबत ऐसा आदेश पारित किया जाता है, अभिरक्षण स्थान, जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर समुचित स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरित किया जाएगा, का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए सुसंगत कारक होगा। दंडादेश करना।

### अध्याय 13

### शास्तियां

- 15 37. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा। अपराधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।
- 20 38. जो कोई धारा 25 के अधीन ऐसे समय के भीतर, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ओमबड्समैन द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने का, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और यदि असफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माने का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, संदाय करने के लिए दायी होगा। ओमबड्समैन के आदेशों का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।
- 25 39. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई संरक्षित व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति के संबंध में ऐसी सूचना का, जो उसके द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के प्रक्रम में या उसके संबंध में प्राप्त की गई है, प्रकटन करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जब तक ऐसा प्रकटन न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश के अनुसरण में नहीं होता है। विधिक कार्यवाहियों में गोपनीयता भंग के लिए शास्ति।
- 30 40. कोई व्यक्ति, इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर चुके हैं, किसी अहित के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के अधीन नहीं होंगे, अर्थात्:— उत्पीड़न का प्रतिषेध।
- (क) इस अधिनियम के अधीन किया गया परिवाद;
- (ख) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन लाई गई कार्यवाही;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे या कृत्यों का पालन कर रहे व्यक्ति के लिए प्रस्तुत की गई कोई सूचना या पेश किया गया कोई दस्तावेज;
- 35 (घ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में साक्षी के रूप में उपसंजात हो चुके हों।
41. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय नहीं लेगा। अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय।

अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना।

42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे। 1974 का 2

#### अध्याय 14

#### प्रकीर्ण

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

43. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा। 5

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

44. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या मार्गदर्शन के अनुसरण में या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण सोसाइटी या उसके किसी सदस्य या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या ओमबड्समैन के निदेशन के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। 10

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

45. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हैं, जो आदेश में उल्लिखित की जाएं, उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी। 15

केंद्रीय सरकार की मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की शक्ति।

46. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी। 20

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए जोखिम और फायदे या विकल्पों संबंधी जानकारी; 25

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचित सम्मति प्राप्त करने की रीति और उपधारा (2) के अधीन पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श की रीति;

(ग) धारा 7 के अधीन एचआईवी परीक्षण के लिए परीक्षण या निदान केंद्र या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत;

(घ) धारा 11 के अधीन आंकड़ा संरक्षण उपायों को किए जाने की रीति; 30

(ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी/एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत मार्गदर्शन;

(च) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देखरेख, सहारा और उपचार;

(छ) धारा 19 के अधीन सार्वभौमिक पूर्वावधानियां और पश्च प्रभावन रोग निरोध के लिए मार्गदर्शन; 35

(ज) धारा 22 के अधीन एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करने के लिए रणनीति या क्रियाविधि या तकनीकी के कार्यान्वयन हेतु;

(झ) धारा 22 के अधीन ओषधि प्रतिस्थापन, ओषधि अनुरक्षण और नीडल तथा सीरिज विनिमय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रीति; 40

- (ज) धारा 30 के अधीन एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना;
- (ट) धारा 31 के अधीन एचआईवी या एड्स निवारण, परामर्श, परीक्षण और अभिरक्षा में व्यक्तियों की चिकित्सा की रीति;
- (ठ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट होने चाहिए।
- 5
47. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
- 10 (क) धारा 13 के अधीन स्थापनों के लिए माडल एचआईवी या एड्स नीति अधिसूचित करने की रीति;
- (ख) कोई अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं या विहित होने चाहिए।
48. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 15
- 20
49. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
- 25 (क) एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन प्रदान करने तथा धारा 14 के अधीन मार्गदर्शनों के अनुसार एचआईवी या एड्स का प्रसार रोकने के उपाय;
- (ख) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किसी ओमबड्समैन के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव;
- 30 (ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ओमबड्समैन की सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों की जांच करने की रीति और उसकी उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण;
- (ङ) धारा 25 के अधीन ओमबड्समैन को परिवाद करने की रीति;
- (च) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विधिक कार्यवाही में छद्मनाम
- 35
- अभिलिखित करने की रीति।
- (3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।
50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो
- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् 5 के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, भारत में मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (एचआईवी/एड्स) (पीएलएचआईवी) से 2.39 मिलियन लोगों के ग्रस्त होने का अनुमान है जो दक्षिणी अफ्रीका और नाइजीरिया के पश्चात् तीसरी सर्वाधिक संख्या है। वर्तमान में, यह महामारी सकेंद्रित है अर्थात् मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एचआईवी) महिला यौन कर्मियों, ऐसे पुरुषों, जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं और ओषधि अंतर्वेषन उपयोक्ताओं जैसे उच्च जोखिम समूहों में अधिक विद्यमान है। इसलिए साधारण जनता को एचआईवी पारेषण रोकने हेतु इन समूहों के लिए लैंगिक रूप से पारेषित संक्रमणों के उपचार, एचआईवी जांच, निरोधों, स्वच्छ सूइयों और सिरिंजों जैसी सेवाओं तक पहुंच रखना महत्वपूर्ण है।

2. चूँकि पारेषण का मार्ग प्राथमिक रूप से योनिक है, इसलिए यह एचआईवी संक्रमण से उद्भूत एक कलंक है और वे लोग, जो इससे प्रभावित हैं, से विभेद किया जाता है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल और उपचार से इंकार और पहुंच, उनके बालकों का स्कूल में प्रवेश या स्कूल में बने रहने के विरुद्ध विभेद, नियोजन, और/या नियोजन से हटाया जाना भी है और विभिन्न सेवाओं से इंकार करना, जिसके अंतर्गत लोक और निजी दोनों स्थापनों में बीमा, चिकित्सा फायदे इत्यादि भी हैं।

3. इस स्थिति में, एचआईवी और एड्स सेवाएं प्रदान करते समय गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करने के लिए और विधिक जवाबदेही द्वारा विद्यमान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सुदृढ़ करने के लिए एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक के मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि निजी और लोक दोनों विद्यमान स्थापन एचआईवी/एड्स से संक्रमित व्यक्ति विशिष्टतया स्त्रियों और बालकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दें।

4. अन्य बातों के साथ-साथ, एचआईवी विभेद संबंधी कतिपय विनिर्दिष्ट कार्यों का निषेध करने, गोपनीयता और निजता को सुनिश्चित करने के लिए एचआईवी जांच या उपचार और एचआईवी प्रास्थिति के प्रकटीकरण के लिए भी सूचित सम्मति का उपबंध करने, स्थापनों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण का उपबंध करने की बाध्यता, एचआईवी/एड्स से संक्रमित व्यक्ति, विशिष्टतया स्त्रियों और बालकों के अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों को दूर करने और परिवादों की जांच करने के लिए औपचारिक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;  
31 जनवरी, 2014

गुलाम नबी आजाद

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 1**—यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है।

**खंड 2**—यह खंड विधेयक के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों “एड्स”, “सहमति की हैसियत”, “एचआईवी द्वारा प्रभावित बालक”, “एचआईवी-प्रभावित व्यक्ति”, “अधिसूचना”, “विहित” आदि की परिभाषा का उपबंध करता है।

**खंड 3**—यह खंड विभेद के प्रतिषेध से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा जिसके अंतर्गत नियोजन या व्यवसाय का प्रत्याख्यान या उसकी समाप्ति, नियोजन या नौकरी में या उसके संबंध में अक्रजु बर्ताव, या स्वास्थ्य देख-भाल सेवाओं का प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रजु बर्ताव और शैक्षणिक सेवाओं में प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रजु बर्ताव, या साधारण जनता के उपयोग को समर्पित या जनता को रूढ़िगत रूप से उपलब्ध किसी माल, वाससुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर के उपयोग पर पहुंच या उसकी व्यवस्था या उसका उपभोग करने की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रजु बर्ताव, संचलन के अधिकार की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रजु बर्ताव, निवास क्रय, किराया या अन्यथा किसी संपत्ति के अधिभोग के अधिकार, सार्वजनिक या निजी पद के लिए उम्मीदवार होने या पद धारण करने, किसी संरक्षित व्यक्ति को अलग करना या पृथक्करण करना, नियोजन की अभिप्राप्ति के लिए एचआईवी परीक्षण आदि पूर्व अपेक्षा के रूप में है।

उक्त खंड यह और उपबंध करता है कि खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन लिखित निर्धारण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है और यह कि व्यक्ति नौकरी के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य है और, यथास्थिति, उस खंड के उपखंड (ii) के अधीन लिखित विवरण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी कोई असम्यक् प्रशासनिक या वित्तीय कठिनाई नहीं है।

**खंड 4**—यह खंड कतिपय कार्यों के प्रतिषेध से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, साधारणतया या विशिष्ट रूप से किसी संरक्षित व्यक्ति या संरक्षित व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा घृणा की भावनाओं का प्रकाशन, प्रचार, पक्ष-पोषण नहीं करेगा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण या अन्यथा संसूचित नहीं करेगा या किसी भी ऐसी सूचना, विज्ञापन या नोटिस का प्रसार, प्रसारण या प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे युक्तियुक्त रूप से घृणा के प्रचार के आशय के निर्देशन का अर्थ लगाया जा सके या जिससे संरक्षित व्यक्ति को घृणा, विभेद या शारीरिक हिंसा की आशंका में डाला जाना संभाव्य हो।

**खंड 5**—यह खंड एचआईवी परीक्षण या उपचार कराने के लिए सूचित सम्मति से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एचआईवी परीक्षण या किसी भी संरक्षित व्यक्ति का चिकित्सा उपचार, चिकित्सा मध्यक्षेप या उसके बारे में अनुसंधान, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि की सूचित सम्मति के सिवाय और ऐसी रीति के सिवाय, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं, नहीं किया जाएगा। एचआईवी परीक्षण के लिए सूचित सम्मति के अंतर्गत परीक्षण किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि की ऐसी रीति में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श सेवा की जाएगी जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

**खंड 6**—यह खंड कतिपय मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सूचित सम्मति की अपेक्षा नहीं होने से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि निम्नलिखित मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सूचित सम्मति की अपेक्षा नहीं होगी, जहां कोई न्यायालय आदेश द्वारा यह अवधारित करता है कि उसके समक्ष मामले में विवाद्यकों के अवधारण के लिए या तो चिकित्सा परीक्षा के भाग के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति का एचआईवी परीक्षण किया जाना आवश्यक है, आयुर्विज्ञान अनुसंधान या चिकित्सा में

उपयोग के लिए मानव शरीर या उसके किसी भाग को उपाप्त करने, उसका प्रसंस्करण वितरण या उपयोग करने के लिए, जिसके अंतर्गत टिशु, रक्त, वीर्य या और अन्य शारीरिक तरल आते हैं और जहां पर किसी दाता द्वारा संदान से पहले परीक्षण परिणामों का अनुरोध किया गया है वहां पर दाता को परामर्श सेवा और परीक्षण केंद्र को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा दाता तब तक परीक्षण के परिणाम का हकदार नहीं होगा जब तक उसने ऐसे केंद्र से पश्च परीक्षण परामर्श सेवा प्राप्त नहीं कर ली हो और जानपदिकरोग विज्ञान संबंधी या निगरानी प्रयोजनों के लिए जहां पर एचआईवी परीक्षण अनाम है और किसी व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए नहीं है, का उपबंध करता है और ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे जानपदिकरोग संबंधी या निगरानी अध्ययनों के अधीन हैं, ऐसे अध्ययनों के प्रयोजनों की सूचना दी जाएगी तथा किसी अनुज्ञप्त रक्त कोष में छानबीन प्रयोजनों के लिए।

**खंड 7**—यह खंड जांच केंद्रों आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि किसी परीक्षण या निदान केंद्रों या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त कोष द्वारा कोई एचआईवी परीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा केंद्र या प्रयोगशाला या रक्त कोष ऐसे परीक्षण के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन नहीं कर लें।

**खंड 8**—यह खंड एचआईवी प्रास्थिति के प्रकटीकरण से संबंधित है। उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी एचआईवी प्रास्थिति प्रकट करने के लिए उस दशा के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा यह अवधारित करता है कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उसके समक्ष मामले में विवादकों के अवधारण के लिए न्यायहित में आवश्यक है और कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति या उसके द्वारा विश्वास में बताई गई या वैश्वासिक प्रकृति के संबंधों में बताई गई किसी अन्य निजी सूचना को, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि की ऐसी रीति में, जो धारा 5 में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त सम्मति के सिवाय और ऐसा प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी सम्मति के तथ्य को लेखबद्ध करने के सिवाय प्रकट नहीं करेगा या उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा वैश्वासिक प्रकृति के संबंधों की दशा में सम्मति को लेखबद्ध किया जाएगा। उपखंड (2) उन परिस्थितियों के लिए जब सूचित सम्मति अपेक्षित नहीं है जहां पर प्रकटीकरण किया गया है का उपबंध करता है।

**खंड 9**—यह खंड एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति का प्रकटीकरण से संबंधित है। उपखंड (1) उपबंध करता है कि चिकित्सक या परामर्शदाता के सिवाय कोई भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता किसी व्यक्ति के संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति प्रकट नहीं करेगा।

उक्त खंड का उपखंड उपबंध करता है कि कोई स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या कोई चिकित्सक या परामर्शदाता है, किसी व्यक्ति की एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति को उसके संगी को अपने प्रत्यक्ष देखरेख के अधीन प्रकट कर सकेगा यदि यह विश्वास करता है कि ऐसे व्यक्ति के संगी को उससे एचआईवी के पारेषण की महत्वपूर्ण जोखिम है और ऐसे एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति को ऐसे संगी को सूचित करने के लिए परामर्श कर दिया गया है और उसका यह समाधान हो जाता है कि एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति ऐसे संगी को सूचित नहीं करेगा। एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति को उसके संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति को प्रकट करने के अपने आशय के बारे में सूचित कर दिया है किन्तु ऐसा स्वास्थ्य देख-भाल प्रदाता ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला के संगी को सूचित नहीं करेगा जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा है।

उक्त खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, इस धारा के अधीन किसी संगी को की गई गोपनीय एचआईवी संबंधित सूचना के किसी भी प्रकटीकरण या अप्रकटीकरण के लिए किसी भी दंडिक या सिविल कार्यवाही के दायित्वाधीन नहीं होगा।

**खंड 10**—यह खंड एचआईवी पारेषण के निवारण के कर्तव्य से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो एचआईवी पोजिटिव है और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परामर्शित कर दिया गया है या एचआईवी की प्रकृति या उसके पारेषण से अवगत है, अन्य व्यक्तियों को एचआईवी के पारेषण के निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां अपनाएगा, जिसके अंतर्गत किसी



व्यक्ति से किसी लैंगिक संपर्क या उस व्यक्ति के साथ सूइयों के एक दूसरे के लिए उपयोग से पहले उसकी एचआईवी प्रास्थिति की जोखिम को कम करने और उसके बारे में पहले से सूचित करने के लिए रणनीतियां अपनाना भी है। उक्त खंड यह और उपबंध करता है कि जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा है वहां उक्त खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**खंड 11**—यह खंड आंकड़ों की गोपनीयता से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि संरक्षित व्यक्तियों की एचआईवी संबंधी जानकारी के अभिलेख रखने वाला प्रत्येक स्थापन यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी जानकारी प्रकटन से संरक्षित है, मार्गदर्शन के अनुसार आंकड़ा संरक्षण के उपाय अंगीकार करेगा। उक्त खंड आंकड़ों की गोपनीयता से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए उपबंध करता है।

**खंड 12**—यह खंड स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स के मॉडल ऐसी रीति में अधिसूचित करेगी, जो विहित की जा सके।

**खंड 13**—यह खंड केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपाय से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह मार्गदर्शन के अनुसार एचआईवी या एड्स के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे।

**खंड 14**—यह खंड केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि खंड 13 के अधीन एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों में यथासंभव प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन का उपबंध करने के लिए उपाय सम्मिलित होंगे और केन्द्रीय सरकार प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी और एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत आवश्यक मार्गदर्शन को जारी करेगी, जो सभी व्यक्तियों को लागू होंगे और उनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगी।

**खंड 15**—यह खंड केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, एचआईवी या एड्स द्वारा संक्रमित या प्रभावी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी स्कीमों तक बेहतर पहुंच को सुकर बनाने के लिए उपाय करेगी और एचआईवी और एड्स से प्रभावित स्त्रियों और बालकों की आवश्यकताओं से निपटने के लिए स्कीमों की विरचना करने का और उपबंध करता है।

**खंड 16**—यह खंड एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है। उपखंड (1) उपबंध करता है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए समुचित कदम उठाएगी। उक्त खंड का उपखंड (2) जब ऐसी स्थिति में एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित बालकों के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति, जो उनके हित के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है या एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित कोई बालक बाल कल्याण समिति के पास जा सकने का उपबंध करता है।

**स्पष्टीकरण.**—बाल कल्याण समिति को परिभाषित करने का उपबंध करता है, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अधीन गठित समिति है।

**खंड 17**—यह खंड एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों के संवर्धन से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एचआईवी और एड्स संबंधी जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों की विरचना करेगी, जो समुचित वय, लैंगिक संवेदनशीलता, लांछनरहित और गैर-विभेदकारी हैं।

**खंड 18**—यह खंड एचआईवी या एड्स से संक्रमित स्त्रियों और बालकों से संबंधित है। उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देखरेख, समर्थन और उपचार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी। उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार परामर्श करने और गर्भावस्था और एचआईवी से संक्रमित

स्त्रियों के लिए एचआईवी संबंधित उपचार के परिणाम के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए उपाय करेगी। उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि कोई एचआईवी पोजिटिव स्त्री, जो गर्भवती है, उसकी सूचित सम्मति को प्राप्त किए बिना बन्धुकीकरण या गर्भपात की पात्र नहीं होगी।

**खंड 19**—यह खंड सुरक्षित कार्यकारी वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापनों की बाध्यता से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में लगा प्रत्येक स्थापन और प्रत्येक ऐसा अन्य स्थापन, जहां एचआईवी के प्रति व्यवसायिक प्रभावन के महत्वपूर्ण जोखिम हैं, सुरक्षित कार्य का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन के अनुसार उपबंध करेगा ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी के प्रति व्यवसायिक प्रभावन हो सकता है, के लिए सार्वभौमिक पूर्वावधानियां और ऐसी सार्वभौमिक पूर्वावधानियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण तथा ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी या एड्स के प्रति व्यवसायिक प्रभावन हो सकता है, के पश्च प्रभावन रोग निरोध और सार्वभौमिक पूर्वावधानियों और पश्च प्रभावन रोग निरोध की उपलब्धता के स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों को सूचित और शिक्षित करना।

**खंड 20**—यह खंड स्थापनों के साधारण दायित्व से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि अध्याय 7 के उपबंध उन सभी स्थापनों को, जो सौ या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने हैं, लागू होंगे चाहे वे, यथास्थिति, कोई कर्मचारी या अधिकारी या सदस्य या निदेशक या न्यासी या प्रबंधक हों, और उपबंध करता है कि स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों के मामले में इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “सौ या अधिक” शब्दों के स्थान पर, “बीस या अधिक” शब्द रखे गए हों।

उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्थापन का, ऐसे स्थापन के क्रियाकलापों के संचालन के लिए प्रभारी है, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**खंड 21**—यह खंड शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित है। यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 20 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्थापन ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझता है, शिकायत अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा, जो दिन-प्रतिदिन आधार पर विहित की जाने वाली रीति में स्थापन में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों की शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करेगा।

**खंड 22**—यह खंड जोखिम को कम करने से संबंधित है। यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि एचआईवी के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए किसी रणनीति का तंत्र या अंगीकृत या लागू की गई तकनीकी या उनके अनुसरण में किसी कार्य जो व्यक्तियों, स्थापनों या संगठनों द्वारा ऐसी रीति में किए जाने का प्रयत्न करता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जो किसी रीति से निर्बंधित या प्रतिषिद्ध नहीं होंगे और दांडिक अपराध की कोटि में नहीं आएगा या सिविल दायित्व को आकृष्ट नहीं करेगा। “एचआईवी संचरण का जोखिम कम करने के लिए रणनीति” को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण उपबंधित किया गया है। इस संबंध में दृष्टांतों को उपबंधित किया गया है।

**खंड 23**—यह खंड ओमबड्समैन की नियुक्ति से संबंधित है। उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि ओमबड्समैन, किसी परिवाद किए जाने पर, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण की जांच करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा यथा विहित की जाए।

उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह मामले की जांच के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार से अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अधीन दंडनीय होगा।

उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि ओमबड्समैन ऐसी रीति में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

**खंड 24**—यह खंड ओमबड्समैन की शक्तियों से संबंधित है। उपखंड (1) यह उपबंध करने के

लिए है कि ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद करने पर, स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों के संबंध में ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करेगा।

उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह मामले की जांच के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के अधीन दंडनीय होगा।

उपखंड (3) यह उपबंध करने के लिए है कि ओमबड्समैन ऐसी रीति में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

**खंड 25**—यह खंड परिवाद की प्रक्रिया से संबंधित है जो उपबंध करता है कि खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन ओमबड्समैन को ऐसी रीति में परिवादों को प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

**खंड 26**—यह खंड ओमबड्समैन के आदेशों से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि ओमबड्समैन दोनों पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात् उसके कारण देते हुए आदेश पारित करेगा।

**खंड 27**—यह खंड ओमबड्समैन की सहायता करने वाले प्राधिकारियों से व्यवहार करता है। यह उपबंध करता है कि सभी प्राधिकारी जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकारी भी हैं, ओमबड्समैन द्वारा पारित आदेश के निष्पादन में ओमबड्समैन की सहायता करेंगे।

**खंड 28**—यह खंड राज्य सरकार को रिपोर्ट करने से व्यवहार करता है। यह उपबंध करता है कि ओमबड्समैन, प्रत्येक छह मास के पश्चात् प्राप्त परिवादों की संख्या और प्रकृति और ऐसे परिवादों के संबंध में की गई कार्यवाही और पारित आदेशों की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा और ऐसी रिपोर्ट ओमबड्समैन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

**खंड 29**—यह खंड निवास के अधिकार से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि एचआईवी संक्रमण या संक्रमित स्त्री को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा।

**खंड 30**—यह खंड एचआईवी से संबंधित जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना के लिए मार्गदर्शन से संबंधित है। यह उपबंधित करता है कि केन्द्रीय सरकार एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनिर्दिष्ट करेगी।

**खंड 31**—यह खंड राज्य की देखरेख या अभिरक्षा में के व्यक्तियों से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्य की देखरेख या अभिरक्षा में है, इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार एचआईवी निवारण, परामर्श, परीक्षण और चिकित्सा का अधिकार होगा।

**खंड 32**—यह खंड बड़े सहोदर की संरक्षकता की मान्यता से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम का है परन्तु बारह वर्ष से कम का नहीं है, जो पर्याप्त और परिपक्व समझ रखता है और जो एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित अपने कुटुंब के कार्यों का प्रबंध कर रहा है, वह अठारह वर्ष से कम के अन्य सहोदर के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होगा,— (क) शैक्षणिक स्थापनों में प्रवेश; (ख) देखरेख और संरक्षण; (ग) चिकित्सा; (घ) बैंक खातों का प्रचालन; (ङ) संपत्ति प्रबंध; और (च) कोई अन्य प्रयोजन, जो संरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

**खंड 33**—यह खंड संरक्षकता और वसीयती संरक्षकता के लिए विद्यमान वसीयतों से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित किसी बालक के माता-पिता या विधिक संरक्षक वसीयत करके किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति को, जो नातेदार या मित्र है या अठारह वर्ष की आयु से

कम का कोई व्यक्ति, जो माता-पिता या विधिक संरक्षक की अक्षमता या मृत्यु पर तुरंत विधिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

**खंड 34**—यह खंड पहचान छिपाने से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें संरक्षित व्यक्ति एक पक्षकार है या ऐसा व्यक्ति कोई आवेदक है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर न्यायहित में निम्नलिखित में से कोई या सभी आदेश पारित कर सकेगा, — (क) कि कार्यवाहियों के अभिलेख में छद्मनाम वाले ऐसे व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित करके आवेदक की पहचान के गोपन द्वारा कार्यवाहियां या उसके कोई भाग ऐसी रीति में संचालित किए जाएंगे जो विहित किए जाएं; (ख) कि कार्यवाहियों या उसके भाग को बंद कमरे में संचालित किया जा सकेगा; (ग) आवेदक का नाम या प्रास्थिति या पहचान के प्रकटन को अग्रसर करने के लिए किसी सामग्री को किसी रीति में प्रकाशन से किसी व्यक्ति को रोकना।

**खंड 35**—यह खंड भरण-पोषण के आवेदन से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षित व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त फाइल किए गए किसी भरण-पोषण आवेदन में न्यायालय अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन पर विचार करेगा और भरण-पोषण के किसी आदेश को पारित करने में, चिकित्सा व्यय और अन्य एचआईवी संबंधी लागत, जिन्हें आवेदक द्वारा उपगत किया जा सकेगा, को ध्यान में रखेगा।

**खंड 36**—यह खंड दंडादेश करने से संबंधित है। यह उपबंध करता है दंडादेश करने से संबंधित किसी आदेश को पारित करने में एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति वाले व्यक्ति की, जिनकी बाबत ऐसा आदेश पारित किया जाता है, अभिरक्षण, स्थान, जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर समुचित स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा, का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए सुसंगत कारक होगा।

**खंड 37**—यह खंड अपराधों के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

**खंड 38**—यह खंड ओमबड्समैन के आदेशों का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि जो कोई धारा 25 के अधीन ऐसे समय के भीतर ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। ओमबड्समैन द्वारा दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने का, जो दस हजार तक का हो सकेगा, और यदि असफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माने का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, संदाय करने के लिए दायी होगा।

**खंड 39**—यह खंड विधिक कार्यवाहियों में गोपनीयता भंग के लिए शास्ति से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है, कि जो कोई संरक्षित व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति के संबंध में ऐसी सूचना का, जो उसके द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के प्रक्रम में या उसके संबंध में प्राप्त की गई है, प्रकटन करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जब तक ऐसा प्रकटन न्यायालय के किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में नहीं होता है।

**खंड 40**—यह खंड उत्पीड़न के प्रतिषेध से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, इस आधार पर ऐसे किसी अर्हित व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के अधीन नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया है; या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियों की हैं; या इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने वाले या कृत्य का पालन करने वाले किसी व्यक्ति को कोई सूचना दी है या कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है; या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्षी के रूप में उपसंजात हुआ है।

**खंड 41**—यह खंड अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के

लिए है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

**खंड 42**—यह खंड अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होने से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

**खंड 43**—यह खंड अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि, इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में उसमें अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

**खंड 44**—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत या तो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण सोसाइटी या उसके किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या ओमबड्समैन के निदेशन के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**खंड 45**—यह खंड शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो आदेश में उल्लिखित की जाएं, उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

**खंड 46**—(1) यह खंड मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित है। खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी। खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:— (क) धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए जोखिम और फायदे या विकल्पों संबंधी जानकारी; (ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचित सम्मति प्राप्त करने की रीति और उपधारा (2) के अधीन पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श की रीति; (ग) धारा 7 के अधीन एचआईवी परीक्षण के लिए परीक्षण या निदान केन्द्र या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत; (घ) धारा 11 के अधीन आंकड़ा संरक्षण उपायों को किए जाने की रीति; (ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी/एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत मार्गदर्शन; (च) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देखरेख, सहारा और उपचार; (छ) धारा 19 के अधीन सार्वभौमिक पूर्वावधानियां और पश्च प्रभावन रोग निरोध के लिए मार्गदर्शन; (ज) धारा 22 के अधीन एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियां; (झ) धारा 22 के अधीन ओषधि प्रतिस्थापन, ओषधि अनुरक्षण और नीडल तथा सिरिंज विनिमय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रीति; (ञ) धारा 30 के अधीन एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना; (ट) धारा 31 के अधीन एचआईवी या एड्स निवारण, परामर्श, परीक्षण और अभिरक्षा में व्यक्तियों की चिकित्सा की रीति; (ठ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

**खंड 47**—यह खंड केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को

क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:— (क) धारा 12 के अधीन स्थापनों के लिए माडल एचआईवी या एड्स नीति अधिसूचित करने की रीति; (ख) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं या विहित किए जाने चाहिए।

**खंड 48**—यह खंड नियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने से संबंधित है। खंड यह उपबंध करने के लिए है कि, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**खंड 49**—यह खंड राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति और उन्हें रखे जाने से संबंधित है। उक्त खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:— (क) एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन प्रदान करने तथा धारा 14 के अधीन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एचआईवी या एड्स का प्रसार रोकने के उपाय; (ख) खंड के अधीन ओमबड्समैन के रूप में या धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी ओमबड्समैन के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले राज्य सरकार के अधिकारी की रैंक में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव; (ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ओमबड्समैन की सेवा के निबंधन और शर्तें; (घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों की जांच करने की रीति और उसकी उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण; (ङ) धारा 25 के अधीन ओमबड्समैन को परिवाद करने की रीति; (च) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विधिक कार्यवाही में छद्मनाम अभिलिखित करने की रीति। उक्त खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथासंभव शीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

**खंड 50**—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि, किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

## वित्तीय ज्ञापन

वर्तमान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एचआईवी और एड्स के निवारण और नियंत्रण संबंधी विधेयक में व्यक्त चिंताओं को दूर करता है। योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) व्यय के भागरूप में एड्स नियंत्रण विभाग के लिए 11,394 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। नए क्रियाकलापों जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा ओमबड्समैन के रूप में नियुक्त किए जाने वाली स्कीमों, आदि के लिए अपेक्षित उपबंध का प्राक्कलन करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, एचआईवी या एड्स से ग्रस्त/प्रभावित लोगों के लिए अन्य विभागों और मंत्रालयों द्वारा कुछ स्कीमों की विरचना और उनके कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 46, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु प्रस्तावित विधान और उसके अधीन नियमों से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है। इस खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रमाणित करता है जिनकी बाबत मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जा सकेंगे। ये विषय निम्नलिखित से संबंधित हैं— (क) धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए जोखिम और फायदे या विकल्पों संबंधी जानकारी; (ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचित सम्मति प्राप्त करने की रीति और उपधारा (2) के अधीन पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श की रीति; (ग) धारा 7 के अधीन एचआईवी परीक्षण के लिए परीक्षण या निदान केन्द्र या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत; (घ) धारा 11 के अधीन आंकड़ा संरक्षण उपायों को किए जाने की रीति; (ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी/एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत मार्गदर्शन; (च) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देखरेख, सहारा और उपचार; (छ) धारा 19 के अधीन सार्वभौमिक पूर्वावधानियां और पश्च प्रभावण रोग निरोध के लिए मार्गदर्शन; (ज) धारा 22 के अधीन व्यक्ति स्थापन या संगठनों द्वारा एचआईवी पारेषण के जोखिम को कम करने के लिए अंगीकृत रणनीति या तंत्र या तकनीक कार्यान्वित करने या रीति जिसके अंतर्गत ओषधि प्रतिस्थापन, ओषधि अनुरक्षण और नीडल तथा सिरिंज विनिमय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रीति भी है; (झ) धारा 30 के अधीन एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व सूचना; (ञ) धारा 31 के अधीन एचआईवी या एड्स निवारण, परामर्श, परीक्षण और अभिरक्षा में व्यक्तियों की चिकित्सा की रीति और कोई अन्य विषय, जो प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट होने चाहिए।

विधेयक का खंड 47, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है। इस खंड का उपखंड (2) धारा 12 के अधीन स्थापनों और ऐसे अन्य विषयों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जा सकेंगे या किए जाने चाहिए, के लिए आदर्श एचआईवी और एड्स नीति अधिसूचित करने की रीति का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 48 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

विधेयक का खंड 49, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए है। इस खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रमाणित करता है जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय निम्नलिखित से संबंधित हैं— (क) एचआईवी. या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन प्रदान करने तथा धारा 14 के अधीन मार्गदर्शनों के अनुसार एचआईवी या एड्स का प्रसार रोकने के उपाय; (ख) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किसी ओमबड्समैन के रूप में किसी व्यक्ति या राज्य सरकार के अधिकारियों की रैंक की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव; (ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ओमबड्समैन की सेवा के निबंधन और शर्तें; (घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों की जांच करने की रीति और उसकी उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण; (ङ) धारा 25 के अधीन ओमबड्समैन को परिवाद करने की रीति; (च) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विधिक कार्यवाही में छद्मनाम अभिलिखित करने की रीति।

विधेयक के खंड 49 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

वे विषय जिनकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना संभव नहीं है। अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।